न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्री मुकेश बारैठ आर.ए.एस.

मि0न0 —159/2019

1. विक्रम पुत्र रामजीलाल जाति स्वामी निवासी नेठराना तहसील भादरा।

:— **वादी**

ब ना म

1. रामजीलाल पुत्र रामचन्द्र जाति स्वामी निवासी नेठराना तहसील भादरा।
2. ईला पुत्री रामजीलाल जाति स्वामी निवासी नेठराना तहसील भादरा।
3. ओरियन्टल बैंक ऑफ कामर्श शाखा नेठराना जरिये प्रबन्धक।

:— **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :—श्री मुंशीराम गोस्वामी वकील **वादीगण**
श्री विक्रम शर्मा वकील **प्रतिवादीगण**

निर्णय दिनांक: 31/01/2020

वादी के दावा के सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार है कि चक 3 एनटीआर के खाता सं0 127/119 के मु0 नं0 74 किला नं0 2,3,8,9,12,13,14/1 की 1.644 हैक्टेयर नहरी मय रासता की खातेदारी व चक 1 बारानी के खाता सं0 109/93 के मु0 नं0 67 किला नं0 9 ता 12 , 19 व 20 की 1.328 हैक्टेयर बारानी खातेदारी जो प्रतिवादी रामजीलाल के नाम से खातेदारी दर्ज है प्रमाणित प्रति जमाबंदी हाल संलग्न वाद है।

वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दु है तथा हिन्दु उतराधिकर अधिनियम एवं हिन्दु मिताक्षरा पद्धति से शासित होते है। वादभूमि पहले वादीगण के दादा रामचंद्र की खातेदारी हुआ करती थी। रामचंद्र के देहान्त होने पर वादभूमि जो प्रतिवादी रामजीलाल के नाम से दर्ज है वह वादी व प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 को बहिस्सा बराबर के अनुसार विरासतन में मिली थी। परन्तु प्रतिवादी रामजीलाल कर्ता खानदान होने के चलते विरासतन इन्तकाल तन्हा प्रतिवादी रामजीलाल अपने नाम से दर्ज करवा लिया। इस प्रकार वादभूमि वादीगण एवं प्रतिवादी की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादभूमि तन्हा प्रतिवादी रामजीलाल के नाम दर्ज होने से वादीगण के अधिकारों पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ता है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। तामील उपरान्त प्रतिवादी सं. 1 ता व वादी ने न्यायालय मे उपस्थित होकर राजनीमा पेश किया। राजीनामा पेश होने पर तनकीयात की आवश्यकता नही पाई जाने के कारण साक्ष्यवादी में वादी विक्रम पुत्र रामजीलाल जाति स्वामी निवासी नेठराना तहसील भादरा के साक्ष्य करवाये गये। साक्ष्य की ताहिद में वादी ने जमाबंदी चक 15 एएमएस व चक 4 एसडीआर संवत 2075—78 प्रदर्श 1 व 2, जमाबंदी चक 3 एनटीआर संवत 2071—74 प्रदर्श 1, जमाबंदी चक 1 बारानी संवत 2074—77 प्रदर्श 2, जमाबंदी चक 3 एनटीआर व 1 बारानी संवत 2029—38 प्रदर्श 3 व 4 है वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पचायत नेठराना प्रदर्श 5 प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील उभय पक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील उभय पक्षकारान ने अपने वाद के तथ्यों को दोहराया एवं मुताबिक राजीनाम वाद वादीगण डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में चक 3 एनटीआर के खाता सं0 127/119 के मु0 नं0 74 किला नं0 2,3,8,9,12,13,14/1 की 1.644 हैक्टेयर नहरी मय रासता की खातेदारी व चक 1 बारानी के खाता सं0 109/93 के मु0 नं0 67 किला नं0 9 ता 12 , 19 व 20 की 1.328 हैक्टेयर बारानी खातेदारी जो प्रतिवादी रामजीलाल के नाम से खातेदारी दर्ज है उसमें प्रतिवादी सं0 2 ने अपना हक हिस्सा त्याग किया है। इसलिये वादी अपने हकों की घोषणा हेतु वाद प्रस्तुत किया एवं प्रतिवादी ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुये अपना राजीनामा पेश किया है।

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री कर घोषणा की जाती है कि चक 3 एनटीआर के खाता सं0 127/119 के मु0 नं0 74 किला नं0 2,3,8,9,12,13,14/1 की 1.644 हैक्टेयर नहरी मय रासता की खातेदारी व चक 1 बारानी के खाता सं0 109/93 के मु0 नं0 67 किला नं0 9 ता 12 , 19 व 20 की 1.328 हैक्टेयर बारानी खातेदारी जो प्रतिवादी रामजीलाल के नाम से खातेदारी दर्ज है उसमे वादी एंव प्रतिवादी बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार है व प्रतिवादी सं0 2 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष मे त्याग किया है , इसलिये हक त्याग किये गये हिस्सा पर पंजीयन विभाग द्वारा नियमानुसार देय स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क देय करने पर एवं वादभूमि यदि रहन हो तो रहनमुक्त होने उक्त वादभूमि वादी व प्रतिवादी रामजीलाल के नाम बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री तैयार कर संलग्न की जावे।

निर्णय आज दिनांक 31/01/20.. को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(उपखण्ड अधिकारी भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज.) — seal)

(मुकेश बारैठ)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
R.A.S
भादरा (जिला हनुमानगढ़)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :-श्री मुकेश बारैठ आर.ए.एस.

मि0न0 -159/2019

1. विक्रम पुत्र रामजीलाल जाति स्वामी निवासी नेठराना तहसील भादरा ।

:- वादी

ब ना म

1. रामजीलाल पुत्र रामचन्द्र जाति स्वामी निवासी नेठराना तहसील भादरा।
2. ईला पुत्री रामजीलाल जाति स्वामी निवासी नेठराना तहसील भादरा।
3. ओरियन्टल बैंक ऑफ कामर्श शाखा नेठराना जरिये प्रबन्धक।

:- प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ श्री मुकेश बारैठ उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा के समक्ष वकील वादी श्री मुशीराम गोस्वामी एवं वकील प्रतिवादीगण विक्रम शर्मा की उपस्थिति मे निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री कर घोषणा की जाती है कि चक 3 एनटीआर के खाता सं0 127/119 के मु0 नं0 74 किला नं0 2,3,8,9,12,13,14/1 की 1.644 हैक्टेयर नहरी मय रासता की खातेदारी व चक 1 बारानी के खाता सं0 109/93 के मु0 नं0 67 किला नं0 9 ता 12 , 19 व 20 की 1.328 हैक्टेयर बारानी खातेदारी जो प्रतिवादी रामजीलाल के नाम से खातेदारी दर्ज है उसमे वादी एंव प्रतिवादी बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार है व प्रतिवादी सं0 2 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष मे त्याग किया है , इसलिये हक त्याग किये गये हिस्सा पर पंजीयन विभाग द्वारा नियमानुसार देय स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क देय करने पर एवं वादभूमि यदि रहन हो तो रहनमुक्त होने उक्त वादभूमि वादी व प्रतिवादी रामजीलाल के नाम बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 31/01/2020 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(मुकेश बारैठ)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Bareth
Date: 2020.03.13 12:19:17 IST
Reason: SelfAttested
Location: